ग्राम पंचायत, नेई नेटी, विकास खण्ड राजगढ़ ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-I

1 (क) प्रस्तावनाः-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, **ग्राम पंचायत, नेई नेटी, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर** के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे;

(i) प्रधानः-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री मती उपासना देवी	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्रीमती मीरा देवी	23.01.2016 से निरन्तर

(ii) सचिवः-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्रीमती नीरज	01.04.2014 से 16.02.2017 तक
2.	श्री राज कुमार	17.02.2017 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः- ग्राम पंचायत, नेई नेटी के लेखों का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा नं	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि
1	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.13
2	8	अनुदान का उपयोग न करना	8.35
3	**9**	औपचारिकतायें को पूर्ण किये बिना क्रय	1.36
4	11	जे.सी.बी चार्जीस का अनियमित भुगतान	3.25
5	12(i)	निर्माण कार्यो के मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न	13.85

		करना	
6	12(ii)	तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय, राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.26
7	13(ii)	मनरेगा की रोकड़ बही का संधारण न करना	18.20
8	13(iv)	खण्ड विकास अधिकारी को राशि वापसी (Refund) की पुष्टि न होना	0.43
9	14(i)	विक्रेता से टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके GR {Goods Receipt Note} पर दर्शायी गई खरीद	1.20

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नेई नेटी, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी **द्वारा** दिनांक **10.01.18, तथा 15.01.2018 से 19.01.2018** को ग्राम पंचायत नेई नेटी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	**आय माह**	**व्यय माह**
2014-15	07/2014	07/2014
2015-16	09/2015	02/2016
2016-17	06/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत नेई नेटी, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/राजगढ़/ 2017-18-19 दिनांक 09.01.2018 **द्वारा** सचिव, ग्राम पंचायत नेई नेटी से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:- ग्राम पंचायत नेई नेटी विकास खण्ड राजगढ़, **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत नेई नेटी के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट–1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	------	41700.00	41700.00	6892.00	34808.00
2015-16	34808.00	25244.00	60052.00	5822.18	54229.82
2016-17	54229.82	38276.80	92506.62	23214.00	69292.62

नोट:- (i) सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए| जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है| अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत नेई नेटी के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2 व 2A}** मे भी दिया गया है।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	1487131.57	1568615.00	3055746.57	1719318.00	1336428.57
2015-16	1336428.57	1014833.00	2351261.57	1850024.00	501237.57
2016-17	501237.57	1998152.00	2499389.57	1663908.00	835481.57

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है |

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को ₹19 का अन्तर :-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹19** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	69292.62	1
2.	अनुदान	835481.57	2

3.	कुल शेष राशि	**904774.19**	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	**904755.19**	4
5.	**अन्तर**	**19.00**	

6 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारता:-

ग्राम पंचायत नेई नेटी को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित न करना है, क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए| यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत नेई नेटी द्वारा उनके पत्र क्रमांक:G.P.Nai Netti/2017-18-07 दिनांक 19/01/2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी दर्शायी गई है;

नं	आय का साधन	दरें	विवरण
1	House Tax	20/-	2014-15
		20/-	2015-16
		20/-	2016-17
2	Land Revenue	as per Govt. rate 10	No Receipt since 04/2014
3	Marriage		3 Oct,2016 and thereafter
	Registration fees	200/-{BPL 25/-}	Registration within 30 days
		400/-{BPL 50/-}	Registration within 90 days
4	Certificate fee	10/-	-----------
5	Liquor cess	-------	As per govt. rates

पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली नियमित आय की वसूली दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.13 लाख वसूली हेतु शेष:–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बंधित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत राजस्व **₹13240 वसूली हेतु शेष थी ।**

गृहकर:–

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2014-15	210	20/-	4200/-	------	4200/-
2015-16	220	20/-	4400/-	------	4400/-
2016-17	232	20/-	4640/-	------	4640/-
	गृहकर की वसूली योग्य राशि				**13240/-**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली गत तीन वर्षों में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए ।

8 अनुदान की ₹8.35 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹8,35,481** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.36 लाख के स्टोर/स्टॉक का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधिक है सम्बंधित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया की परिशिष्ट –6 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा `₹135906 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही किया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–6 में दिए विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त वर्णित परिशिष्ट–6 में दी गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय मद को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

11 जे.सी.बी चार्जीस का ₹3.25 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹3,25,,200** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जोकि उपरोक्त **पैरा संख्या:9** में वर्णित नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

इसके अतिरिक्त **जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक** द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत

नहीं की गई, जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा तथा उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतीयां जैसे **आयकर, सेल्स टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि** की कटौती नहीं की गई है, जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से संवैधानिक कटौतीयां की जानी अपेक्षित थी| अतः उक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जे.सी.बी चार्जीस का ₹3,25,200 के अनियमित भुगतान का विवरण

नं	फर्म का नाम	बिल व् दिनांक	घन्टे	दर	कुल भुगतान
		14th FC			
1	सतिन्दर सिंह	48/ ---------	125	800	100000
2	------do------	49/ ---------	56.25	800	45000
		BRGF			
3	ठाकुर लैंड डिगिंग	202/ 04.12.15	115	800	92000
4	------do------	204/ 20.12.15	111	800	88200
				कुल अदायगी	**325200/-**

12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i) निर्माण कार्यो पर ₹13.85 लाख के व्यय के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान संलग्न **{परिशिष्ट- 7}** पर दर्शाए गए निर्माण कार्यों के तकनीकी मुल्यांकन से सम्बन्धित **प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय/भुगतान सही था अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। यदि उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय भुगतान/राशि का आहरण कार्यों के मूल्यांकन के बिना ही हुआ है तो वह अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त बारे यह स्पष्ट किया जाए की सूची में दर्शाए गए अमुल्यंकित कार्यो में से कौन से कार्य पूर्ण हो चुके है, कौन से कार्य प्रगति पर है, कौन से कार्य कितने समय से अधूरे/बन्द पड़े है तथा उन पर दर्शाया गया व्यय/भुगतान सही है या नहीं। यदि व्यय भुगतान अनियमित पाया जाता है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

अनुदान	भुगतान	विवरण
सामान्य निधि {13th FC, ईनाम राशि, MPLAD, TSC, MLA}	10,05,528/-	
BRGF	3,79,867/-	
Total	**13,85,395/-**	

(ii) तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर ₹0.26 लाख का अधिक आहरण/भुगतान कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजनः-

निर्माण कार्यों की जाँच के दौरान पाया गया की निम्नलिखित निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद दर्शाकर निम्नतालिकानुसार **₹26,339** का अधिक आहरण किया गया है, जिस बारे विभागीय स्तर पर जाँच करवाई जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति न हो इस बारे विभागीय स्तर पर सख्त दिशा-निर्देश जारी करने की सिफारिश की जाती है।

निर्माण सामग्री का नाम	सामग्री की क्रय की गई मात्रा	सामग्री की मूल्यांकित मात्रा	अधिक क्रय की गई मात्रा	क्रय दर	राशि का अधिक आहरण/व्यय
BRGF:- सिंचाई टैंक पीपल नाला			**MB-310, पृष्ठ 12 से 14**		
सीमेंट	100 बैग्स	92 बैग्स	8 बैग्स	215/-	1720/-
रेत	13.70 cum	6.65 cum	7.05	1400/-	9870/-
सरिया	838 kg	729 kg	109 kg	43/-	4687/-
(क)			**कार्य में अधिक भुगतान**		**16,277/-**
BRGF:- मुरम्मत GPS, नेई नेटी		**MB-310, पृष्ठ 43**			
रेत	4.72 cum	3.83 cum	0.89	1780/-	1584/-
बजरी	9.40 cum	7.66 cum	1.76	1780/-	3132/-
सरिया	584 kg	560 kg	24 kg	44/-	1056/-
(ख)			**कार्य में अधिक भुगतान**		**5772/-**
ईनाम राशि:- रसोई घर, नेई		**MB-310, पृष्ठ 43 से 45**			
रेत	4.35 cum	3.53 Cum	0.82	1780/-	1460/-
बजरी	8.59 cum	7 cum	1.59	1780/-	2830/-
(ग)			**कार्य में अधिक भुगतान**		**4290/-**
			(क)+(ख)+(ग) कुल अधिक आहरण/भुगतान		**26,339/-**

(iii) निर्माण सामग्री की प्राक्कलन में निर्दिष्ट की गई मात्रा से अधिक मात्रा की खरीद कर किया गया ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्य रसोईघर नेई {ईनाम राशि} में कार्य के प्राक्कलन के अनुसार उक्त कार्य हेतु सरिये की 478 किलोग्राम मात्रा निर्दिष्ट की गई थी, जबकि उक्त कार्य हेतु 723 किलोग्राम सरिये की खरीद दर्शायी गई है, जोकि प्राक्कलन में दी गई मात्रा से 245 किलोग्राम अधिक है। इस प्रकार प्राक्कलन में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा की खरीद दर्शाकर/करके **₹43** प्रतिकिलो (खरीद दर) की दर से **₹10535** का अधिक भुगतान/आहरण हुआ है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान/आहरित की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित अधिकतर विकास कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र** इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में उक्त निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये लाखों रूपये के व्यय/भुगतान की

सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच नहीं की जा सकी| अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट की जाए साथ ही उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) रोकड़ बही में दर्ज राशी से ₹4.48 लाख का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान की राशी बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशी से वितीय वर्ष **2014-15** में **₹448471** अधिक है। उक्त **Online** भुगतान तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशी में उपरोक्त अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये, यदि अन्तर की राशि अधिक भुगतान है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर पंचायत निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त अन्तर/अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय	चेक द्वारा किया गया भुगतान	रोकड़ बही के अनुसार कुल ऑन लाइन भुगतान	फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान	अन्तर अधिक भुगतान (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4) [2-3]	(5)	(6) [5-4]
2014-15	668753	90122	578631	1027102	**448471**

(ii) वितीय वर्ष 2015-16 व् 2016-17 में किये गए ₹18.20 लाख के ऑनलाइन व्यय भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना:-

वितीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गयी राशी को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई **Online Financial Statements** (प्रति संलग्न) के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर उक्त अवधि के दौरान **₹18,19,946**. का **Online** व्यय भुगतान किया गया है| उक्त प्राप्ति व् भुगतान का **रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो उन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ उसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी।** अतः उपरोक्त आय/व्यय को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए| मनरेगा जोजना में अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गए Online व्यय भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वितीय वर्ष	मजदूरी का भुगतान	सामग्री पर व्यय	कुल भुगतान
2015-16	765774/-	245237/-	1011011/-
2016-17	669660/-	139275/-	808935/-
कुल योग	**1435434/-**	**384512/-**	**1819946/-**

(iii) वितीय वर्ष 2014-15 में चेक द्वारा किये गए ₹0.47 लाख के भुगतान का ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स में पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया की वितीय वर्ष 2014-15 में चेक द्वारा तृतीय पक्ष को किये गए **₹47,324** के भुगतान ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स में दर्ज पाए गए। इस बारे जाँच करके यह स्पष्ट किया जाए की उपरोक्त भुगतान कही ऑनलाइन और चेक द्वारा होकर कहीं दो बार तो नहीं हो गया है, क्योकि उपरोक्त पैरा 12(i) के अनुसार वर्ष 2014-15 में ऑनलाइन किया गया भुगतान रोकड़ बही में दर्ज व्यय भुगतान से अधिक पाया गया है। अतः उक्त बारे जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए| उपरोक्त का ब्यौरा निम्नानुसार है।

(iv) ₹0.43 लाख का खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़ को वापसी (Refund) की पुष्टि न होना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा मनरेगा योजना से निम्नतालिकानुसार **₹42,798** का विकास खण्ड अधिकारी राजगढ़ को वापसी दर्शाई गई है जिसकी अंकेक्षण के दौरान खण्ड विकास अधिकारी के खाते में जमा होने बारे पुष्टि नहीं हो सकी क्योकि उक्त राशि के विकास खण्ड अधिकारी, राजगढ़ के खाते मे जमा होने से सम्बंधित कोई भी रसीदें/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः राशि के उक्त स्थानान्तरण से सम्बन्धित रसीदें/अभिलेख आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ताकि उक्त राशी का सही खाते में जमा होने की पुष्टि हो सके।

राशि वापसी की तिथि	चेक संख्यां	राशि (₹)
29.08.2014	716658	19,933/-
22.12.2014	716659	8,280/-
16.03.2015	716660	14,585/-
कुल राशि		**42,798/-**

14 व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं:-

(i). विक्रेता से टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके GR {Goods Receipt Note} पर दर्शायी गई ₹1.20 लाख की खरीद:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विक्रेता से proper टैक्स इनवॉइस पर सामग्री की खरीद न करके उनके द्वारा जारी GR नोट पर पारित करके लाखों रु, की राशि का व्यय भुगतान/आहरण किया गया/जा रहा है जोकि अंकेक्षण अवधि तक भी जारी है। अतः विक्रेता से उक्त भुगतान से सम्बन्धित **proper Tax Invoice/Bill** व् उन्हें भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित प्राप्तकर्ता रसीद नियमानुसार प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए क्योकि **Goods Receipts Note {GR}** पर दर्शायी गई खरीद अनियमित व् संदिग्ध प्रतीत होती है। उपरोक्त खरीद से सम्बन्धित कुछ मदों/GR का ब्यौरा संलग्न {**परिशिष्ट-** 8} पर दिया गया है।

15 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

16 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारेः-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** को तैयार नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका। अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए था सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया की रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5. अग्रिमों का रजिस्टर
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7. प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9. स्टेशनरी रजिस्टर
10. निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर
12. इन्वेंटरी रजिस्टर

18 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

19 **लघु आपत्ति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई ।**

20 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)27/2018 खण्ड–1–4513–4516 दिनांक 25.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत नेई नेटी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046